री क्रमांक :

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालयः— अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर जालोर (राज.)

राजस्थान राज्य बनाम नरपतराम

आपराधिक प्रकरण संख्या : 234 / 2013

सी.आई.एस. 2188 / 2014

दिनांक हुक्म	कार्यवाही मय आद्यहस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2026	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त नरपतराम अनुपस्थित। अभियुक्त नरपतराम के विरूद्ध वारण्ट गिरफतारी जारी किया हुआ है, क्योंकि उसके जमानत मुचलके जब्तसुदा है। उक्त अभियुक्त लम्बे समय से बावजूद वारण्ट जारी होने के उपस्थित नहीं हो रहा है। अभियुक्त का गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील लौटकर आया है। तामील कुनिन्दा हडमानाराम कानि0 763 पुलिस थाना सांचौर के बयान लेखबद्ध किए जा चुके हैं। अभियुक्त के निकट भविष्य में गिरफ्तारी होने की कोई संभावना नहीं हैं। समस्त तथ्य परिस्थितियों को देखते हुऐ व रिपोर्ट के अवलोकन से न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त इस प्रकरण में सुनवाई से बचने के लिऐ अपने आपको छिपाये हुऐ है। अतः नरपतराम को मफरूर घोषित किया जाता है। उसके खिलाफ स्थायी गिरफतारी वारण्ट जारी किया जाये। अभियुक्त की अचल सम्पति व खातेदारी भूमि **होने/नहीं होने** की रिपोर्ट होने से धारा 82—83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही **नहीं खोली/खोली** जाये। अभियुक्त व जमानती के विरूद्ध धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही यदि नहीं खोली गई है तो अब खोली जाये। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर नियत हैं। **पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जाये कि पत्रावली का कोई भाग जाया नहीं किया जाये।** गिरफ्तारी वारण्ट के थाने के दर्ज क्रमांक सम्बन्धित पुलिस थाने से सात दिन के भीतर प्रेषित किए जाने का नोट अंकित किया जावें। पत्रावली बाद तकमीलन फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Bheem Singh अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर जालोर (राज.)।	